भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 191

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं

***191. श्री नारायणदास अहिरवार:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं जर्जर अवस्था में हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य विकास पैकेज या योजना शुरू करने का है ताकि उस क्षेत्र की आबादी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *191 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): 'जन स्वास्थ्य' तथा 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं, अतः आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य सुविध केंद्रों की योजना बनाना, उनका कार्यान्वयन, उनका रखरखाव करना तथा पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा उपलब्ध समग्र संसाधनों की सीमा के भीतर जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार, निर्धारित मानदंडों तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इन प्रस्तावों को कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में अनुमोदित करती है।

बुंदेलखंड क्षेत्र दो राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और इसमें कुल 13 जिले सम्मिलित हैं। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में प्राथमिक एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर बनाने, मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु अनेक पहलें की गई हैं।

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र स्थित है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुमोदनों का विवरण कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में उपलब्ध है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

वित्त वर्ष 2024-25 तथा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश को जारी की गई केंद्रीय अंश राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

राज्य	वित्त वर्ष	एनएचएम के तहत केंद्रीय निर्गत	पीएम-एबीएचआईएम के तहत केंद्रीय निर्गत
उत्तर प्रदेश	2024-25	5853.43	400.95
	2025-26	5686.12	211.88
मध्य प्रदेश	2024-25	2430.91	63.019
	2025-26	3047.35	130.42

इसके अतिरिक्त, पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत भवन-रहित उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), ब्लॉक स्तरीय जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) आदि को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को क्रमशः कुल 5727.87 करोड़ रुपये और 4482.82 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।

राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बुंदेलखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल 2788 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), 428 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 96 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 15 सब-डिवीजनल अस्पताल (एसडीएच) तथा 19 जिला अस्पताल (डीएच) कार्यशील हैं।
